दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **उमा देवी बनाम भंवरी व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 16/2014** **सीआईएस संख्या 69/15**	अनुपालना टिप्पणी
18-02-2025	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 23-05-24 पर सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 5 के मुख्तयार आम रफीक मोहम्मद के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को श्रीमती नैनतारा एस अग्रवाल को दिनांक 23-03-2022 को विक्रय कर दिया है ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद में श्रीमती नैनतारा एस अग्रवाल आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संयोजित किये जाने का निवेदन किया । अप्रार्थी की ओर से इस पर कोई सारभूत आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ विक्रय पत्र दिनांकित 22-03-2022 की सत्यापित प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 मोहन सिंह के मुख्तयारआम रफीक मोहम्मद के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को दौराने वाद श्रीमती नैनतारा एस अग्रवाल को विक्रय किया गया है। ऐसी अवस्था में श्रीमती नैनतारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर श्रीमती नैनतारा एस अग्रवाल को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद शीर्षक हेतु दिनांक 04-03-2025 को पेश हो । **(अमर वर्मा)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3 ,** **अजमेर**	